

**कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय,
"कामगार भवन", ई - ब्लॉक, सी - २०,
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व),
मुंबई - ४०० ०५९.
दिनांक- ५ फेब्रुवारी, २०१५**

क्र.सा.वि./सिवेअ/वि.म./२०१५-१/कार्या-१० किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत खालील अनुसूचित उद्योगातील कामगारांकरिता
विशेष भत्त्याचे दर दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३०.०६.२०१५ या कालावधीकरिता जाहीर करित आहे.

| अ. क्र. | अनुसूचित उद्योगाचे नांव | परिमंडळ निहाय विशेष भत्त्याचे दर | | | | कालावधी | शेरा |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | परिमंडळ-१ | परिमंडळ-२ | परिमंडळ-३ | परिमंडळ-४ | | |
| | | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | | |
| १ | २ | ३ | | | | ४ | ५ |
| १ | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवादीच्या आस्थापनातील अधिवक्ते किंवा न्यायवादी यांचा अधिसंघ संस्था व विधी व्यवसायाच्या संबंधित आस्थापनेतील कामधंद्या | २,२९२.०० | २,२९२.०० | २,२९२.०० | -- | प्रती महिना | |
| २ | मॉटर दुकस्ती कार्यशाळा उद्योग | ३,९०८.०० | ३,९०८.०० | ३,९०८.०० | -- | प्रती महिना | |
| ३ | बॅकरी उद्योग | ३,२०२.५० | ३,२०२.५० | ३,२०२.५० | -- | प्रती महिना | |
| ४ | कापूस दाबणे व पिजणे उद्योग | २,९९३.७५ | २,९९३.७५ | २,९९३.७५ | -- | प्रती महिना | |
| ५ | कागड रंगविणे, छापाई उद्योग | ३,२०२.५० | ३,२०२.५० | -- | -- | प्रती महिना | |
| ६ | साजू प्रक्रिया उद्योग | २,३९७.५० | संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याकरिता | | | | प्रती महिना |
| ७ | कागदी, गदती पुढ्यापासून खोकी तयार करणारा उद्योग | २,७४७.२५ | २,७४७.२५ | २,७४७.२५ | -- | प्रती महिना | |
| ८ | सामानिक खते बनविणारा उद्योग | २,९४३.५० | २,९४३.५० | २,९४३.५० | -- | प्रती महिना | |
| ९ | कॅन्टीन आणि क्लब उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | |
| १० | गिनेट व सिमेंटवर आधारित उद्योग | ३,५९६.४० | ३,५९६.४० | ३,५९६.४० | -- | प्रती महिना | |
| ११ | रस्ते तयार करणे, देखरेख करणे, बांधकाम उद्योग | २,५२०.५० | २,५२०.५० | २,५२०.५० | -- | प्रती महिना | |
| १२ | चित्रपट प्रदर्शनाचा उद्योग | २,९९६.५० | २,९९६.५० | २,९९६.५० | २,९९६.५० | प्रती महिना | |
| १३ | सायकल यांत्रिकी कार्यशाळेतील कामधंद्या | २,८०८.७५ | २,८०८.७५ | -- | -- | प्रती महिना | |
| १४ | दवाखाना उद्योग | २,०५९.०० | २,०५९.०० | २,०५९.०० | -- | प्रती महिना | |
| १५ | औषधी द्रव्ये व औषध बनविणारा उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | |
| १६ | दुग्धालय (डेअरी) उद्योग | ३,०५२.५० | ३,०५२.५० | ३,०५२.५० | -- | प्रती महिना | |
| १७ | लिखाणाच्या बंधा बनविणारा उद्योग | ३,९४८.८० | ३,९४८.८० | ३,९४८.८० | -- | प्रती महिना | |
| १८ | खान्याच्या तंबाखू उद्योग | २,७४५.०० | संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याकरिता | | | | प्रती महिना |
| १९ | अभियांत्रिकी उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | |
| २० | कारखाने अधिनियम, १९४८ च्या कलम २ फॉट क्लब (एम) या जाळीतील कारखाने | २,८०८.७५ | २,८०८.७५ | २,८०८.७५ | -- | प्रती महिना | |
| २१ | शहरांमधे व बोलपणे बनविणारा उद्योग | ३,४३२.७५ | ३,४३२.७५ | ३,४३२.७५ | -- | प्रती महिना | |
| २२ | चित्रपट निर्मिती उद्योग | ३,२९०.०० | ३,२९०.०० | -- | -- | प्रती महिना | |
| २३ | काच वलय बनविणारा उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | |
| २४ | काच उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | |
| २५ | निवासी हॉटेल व उपाहारगृह उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | |
| २६ | केश कर्तनालय उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | |


| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------|----------|----|-------------|---|
| २७ | हण्णालय उद्योग | २,७२०.२५ | २,७२०.२५ | २,७२०.२५ | -- | प्रती महिना | |
| २८ | बर्फ व कितपेय बनविणारा उद्योग | २,३११.२० | २,३११.२० | -- | -- | प्रती महिना | |
| २९ | मद्य उद्योग | ३,१४८.८० | ३,१४८.८० | ३,१४८.८० | -- | प्रती महिना | |
| ३० | धोबी काम उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | |
| ३१ | चष्मा चौकटी बनविणारा उद्योग | २,८८९.०० | २,८८९.०० | २,८८९.०० | -- | प्रती महिना | |
| ३२ | तेल गिरणी उद्योग | ३,२०२.५० | ३,२०२.५० | -- | -- | प्रती महिना | |
| ३३ | कागद व कागदी नुद्रे बनविणारा उद्योग | २,६७३.७५ | २,६७३.७५ | २,६७३.७५ | -- | प्रती महिना | |
| ३४ | प्लास्टिक उद्योग | २,८०८.७५ | २,८०८.७५ | २,८०८.७५ | -- | प्रती महिना | |
| ३५ | पेन्ट व वॉनिश बनविणारा उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | # |
| ३६ | गोटे, घुरगुरे व कुरमुरे बनविणारा उद्योग | ३,२०२.५० | ३,२०२.५० | -- | -- | प्रती महिना | |
| ३७ | वस्त्राग उद्योग | १,०७३.०० | १,०७३.०० | १,०७३.०० | -- | प्रती महिना | # |
| ३८ | मुद्रण उद्योग | ३,१४८.८० | ३,१४८.८० | ३,१४८.८० | -- | प्रती महिना | |
| ३९ | सार्वजनिक मोटर वाहतुक उद्योग | ३,२०२.५० | ३,२०२.५० | -- | -- | प्रती महिना | |
| ४० | तयार फपडे बनविणे उद्योग | ३,१४८.८० | ३,१४८.८० | ३,१४८.८० | -- | प्रती महिना | |
| ४१ | रबर उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | |
| ४२ | भात, पिठ व डाळ गिरणीतील उद्योग | ३,२०२.५० | ३,२०२.५० | -- | -- | प्रती महिना | |
| ४३ | रबरी कुणे बनविणारा उद्योग | ३,२०२.५० | ३,२०२.५० | ३,२०२.५० | -- | प्रती महिना | |
| ४४ | घोलादी सामान बनविणारा उद्योग | ३,१४८.८० | ३,१४८.८० | ३,१४८.८० | -- | प्रती महिना | |
| ४५ | शिंझा उद्योग | २,९०२.८० | -- | -- | -- | प्रती महिना | |
| ४६ | दगळ फोडणे व खडी करणे उद्योग | ३,१३४.२५ | ३,१३४.२५ | -- | -- | प्रती महिना | |
| ४७ | सौंदर्य प्रसाधने व साबण बनविणारा उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | |
| ४८ | दुकाने व व्यापारी आरम्भपना उद्योग | २,५११.०० | २,५११.०० | २,५११.०० | -- | प्रती महिना | |
| ४९ | सफाईगार व मेहतार कामधंदा | २,९१३.७५ | २,९१३.७५ | २,९१३.७५ | -- | प्रती महिना | |
| ५० | लाकड कटाई उद्योग | २,८०८.७५ | २,८०८.७५ | २,८०८.७५ | -- | प्रती महिना | |
| ५१ | कातडी कामधणे व चामड्याच्या वस्तु तयार करणे | ३,१४८.८० | ३,१४८.८० | ३,१४८.८० | -- | प्रती महिना | |
| ५२ | घासुची भांडी बनविणारा उद्योग | ३,१४८.८० | ३,१४८.८० | ३,१४८.८० | -- | प्रती महिना | |
| ५३ | लाकडी फोटे चौकट बनविणारा उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | |
| ५४ | लाकडी फर्निचर बनविणारा उद्योग | १,९८८.०० | १,९८८.०० | १,९८८.०० | -- | प्रती महिना | |
| ५५ | धडवाळाचे पट्टे बनविणारा उद्योग | ३,२०२.२५ | ३,२०२.२५ | ३,२०२.२५ | -- | प्रती महिना | |
| ५६ | हातमाग उद्योग | २,३५८.७५ | २,३५८.७५ | २,३५८.७५ | -- | प्रती महिना | |
| ५७ | भातीची भांडी बनविणारा उद्योग | २,४४२.०० | २,४४२.०० | २,४४२.०० | -- | प्रती महिना | |
| ५८ | वन व वनशास्त्र विषयक शोधगार | २,५५७.५० | २,५५७.५० | -- | -- | प्रती महिना | |
| | | अतिदुर्गम क्षेत्र | इतर क्षेत्र | -- | -- | प्रती महिना | |
| ५९ | भांडी उद्योग | २,९४२.५० | २,९४२.५० | -- | -- | प्रती महिना | |
| ६० | तंधासू (बिडी उद्योग) | ६०८.०० | ६०८.०० | -- | -- | प्रती महिना | # |
| ६१ | स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत) | १,७७५.०० | १,७७५.०० | १,७७५.०० | -- | प्रती महिना | |
| ६२ | रंग व रसायने बनविणारा उद्योग | ३,१९९.५० | ३,१९९.५० | ३,१९९.५० | -- | प्रती महिना | |
| ६३ | पिटा व क्रीले बनविण्याच्या कारखान्यातील कामधंदा | २,०५५.०० | २,०५५.०० | -- | -- | प्रती महिना | |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|--------|-------------|--|
| ६४ | मशी किंवा गाई किंवा दोन्ही जेथे दुध काढण्यासाठी, रतच्छ कारण्यासाठी, चारा घालण्यासाठी आणि इतर सर्व अनुषंगिक प्रक्रियासाठी ठेवण्यात येतात अशा कामगवाही जागेतील कामगवा (तबेला उद्योग) | ३,३७९.२० | ३,३७९.२० | ३,३७९.२० | -- | प्रती महिना | |
| ६५ | मिठागरामधील कामगवा | २,८०८.७५ | -- | -- | -- | प्रती महिना | |
| ६६ | शेतकी कामगवा | ९३६.२५ | ९३६.२५ | ९३६.२५ | ९३६.२५ | प्रती महिना | |

अ.क्र. ३५,३७,६० समोरील अनुसूचित उद्योगांचे विशेष भत्त्याचे दर पुनर्निश्चित दिनांका नुसार खाली दर्शविले आहेत.

| अ. क्र. | अनुसूचित उद्योगाचे नांव | परिमंडळ निहाय विशेष भत्त्याचे दर | | | | कालावधी | शेरा विशेष कालावधी |
|------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| | | परिमंडळ-१ | परिमंडळ-२ | परिमंडळ-३ | परिमंडळ-४ | | |
| | | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | | |
| ३५ | पेंट व वॉर्निश बनविणारा उद्योग | ९,६५२.०० | ९,६५२.०० | ९,६५२.०० | -- | प्रती महिना | दि.२२.१०.१४ ते दि.३१.१२.१४ या काळावधीकरिता |
| ३७ | पत्रमाग उद्योग (१८४ पेक्षा जास्त) . (१८४ पेक्षा कमी) | ६,८०९.०० | ६,८०९.०० | ६,८०९.०० | -- | प्रती महिना | दि.०१.०१.१५ ते दि.२८.०१.१५ या काळावधीकरिता |
| | | ४,७६६.३० | ४,७६६.३० | ४,७६६.३० | -- | | |
| ६० | तंबाखू (बिडी उद्योग) | ३६९.०० | ३६९.०० | -- | -- | प्रती महिना | दि.००.११.१४ ते दि.३१.१२.१४ या काळावधीकरिता |

विशेष भत्त्याचे दर परिमंडळनिहाय प्रत्येक अनुसूचित उद्योगाकरीता दर्शविण्यात आले आहेत.


(अ. खु. पेडसे)

कामगार उप आयुक्त, (प्र.वि.)
व सक्षम प्राधिकारी,
किमान वेतन अधिनियम, १९४८, मुंबई